बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्रांक– एन0एम0एस0ए0को0–79/2018–195/ कृ0 पटना, दिनांक– 20/12/2018

प्रेषक,

रविन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

#द्वारा: **वित विभाग, ।**

विषय :– **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) अन्तर्गत बिहार राज्य में वर्ष 2018–19 हेतु (केन्द्रांश 206.00 लाख रूपये एवं राज्यांश 137.33 लाख रूपये) कुल 343.33 लाख (तीन करोड़ तेतालीस लाख तेतीस हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय करने की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत**

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 343.33 लाख (तीन करोड़ तेतालीस लाख तैतीस हजार) रूपये (केन्द्रांश 206.00 लाख रूपये एवं राज्यांश 137.33 लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्तुत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2018–19 में किया जायेगा। एक ही कलस्टर में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के निर्धारण/संशोधन हेतु कृषि निदेशक सक्षम होंगे। वर्त्तमान वर्ष 2018–19 में इस योजना के प्रथम वर्ष का कार्यान्वयन किया जाना है। भौतिक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है। 102 कलस्टर के लिए प्रथम वर्ष हेतु जिलावार लक्ष्य अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।
3. यह योजना 60 % केन्द्रांश एवं 40 % राज्यांश के तर्ज पर संचालित होगी। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही पत्र संख्या– 9-39/2015-Org-Fmg. दिनांक 12.6.2018 द्वारा बिहार राज्य के लिए वर्ष 2018–19 में 102 कलस्टर स्वीकृत करने का उल्लेख है। जिसके लिए 60 % केन्द्रांश के रूप में 206.00 लाख रूपये का Allocation किया गया है। तदनुसार 40 % राशि राज्यांश मद से 137.33 लाख रूपये उपलब्ध कराया जाना है। इस संदर्भ में विदित हो कि वर्त्तमान में परम्परागत कृषि विकास योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में 200.00 लाख एवं राज्यांश मद में 133.33 लाख कुल 333.33 लाख रूपये उद्व्यय उपबंधित किया गया है। प्रत्येक कलस्टर में कुल लाभान्वित किसानों की संख्या में कम से कम 65 % किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के होंगे। साथ ही महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. यह योजना वर्ष 2018–19 में 102 नये कलस्टर में प्रत्येक 20 हे० के कलस्टर में संचालित होगा। कलस्टर के सभी कृषकों को भारत सरकार द्वारा प्रावधानित सहायता अनुदान के अनुरूप विभिन्न घटकों के लिए अनुदान एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस योजना के तहत जैविक विधि से खेती एवं उनका पी०जी०एस० आधारित जैविक प्रमाणिकरण हेतु सहायता अनुदान का प्रावधान है। जैविक खेती एवं उनका प्रमाणीकरण का कार्य चयनित कलस्टर में लगातार तीन वर्षों तक संचालित होगा। जैविक उपादान को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को अधिकतम 1 हे० तक के लिए सहायता अनुदान दिया जा सकेगा।

5. 20 हे० के एक कलस्टर में तीन वर्षों में व्यय हेतु परिसीमा इस प्रकार है :– प्रथम वर्ष में किसानों के लिए 2,40,000 रूपये तथा मोबलाईजेशन एवं पी०जी०एस० सर्टिफिकेशन, वैलू एडीसन, इत्यादी के लिए 90,000 रूपया देय होगा। द्वितीय वर्ष में किसानों के लिए 2,00,000 रूपये तथा मोबलाईजेशन एवं पी०जी०एस० सर्टिफिकेशन, वैलू एडीसन, इत्यादी के लिए 1,40,000 रूपया देय होगा। तृतीय वर्ष में किसानों के लिए 1,80,000 रूपये तथा मोबलाईजेशन एवं पी०जी०एस० सर्टिफिकेशन, वैलू एडीसन, इत्यादी के लिए 1,50,000 रूपया देय होगा। मदवार व्यय का विवरण अनुसूची–2 के रूप में संलग्न।
6. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत संसूचित नयी मार्गदर्शिका एवं इसमें समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश/निदेश के अनुसार किया जायेगा।
7. भारत सरकार, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा प्राप्त निदेश के अनुरूप राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति (SLEC) कार्य योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करेगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति (DLEC) परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। जिला स्तर फसल आधारित कलस्टर में योजना का कार्यान्वयन जिला कृषि पदाधिकारी तथा सब्जी/फल आधारित कलस्टर में योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक (उद्यान) द्वारा किया जाएगा।
8. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत वित्तीय अधिसीमा के अधीन आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा। दिनांक 23.7.2018 को सम्पन्न SLEC की बैठक में कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उदव्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।
9. इस योजना के लिए तत्काल उपलब्ध उद्व्यय के अधीन योजना का प्रस्ताव दिया गया है। तत्काल भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्त नहीं की गयी है। केन्द्रांश मद में विमुक्त राशि के विरूद्ध सामानुपातिक राज्यांश की राशि का आवंटनादेश निर्गत किया जयेगा।
10. स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–1 में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बी०टी०सी०–42 प्रपत्र पर संबंधित कोषागार से की जायेगी।
11. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही पत्र संख्या– 9-39/2015-Org-Fmg. दिनांक 12.6.2018 द्वारा बिहार राज्य के लिए वर्ष 2018–19 में 102 कलस्टर स्वीकृत करने का उल्लेख है। जिसके लिए 60 % केन्द्रांश के रूप में 206.00 लाख रूपये का Allocation किया गया है।
12. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए योजनान्तर्गत बजट शीर्ष में उपबंधित राशि एवं स्वीकृत राशि की विवरणी निम्न प्रकार है।

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष केन्द्रांश	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104–कृषि फारम, माँग सं०–01, उप शीर्ष 0205–परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001040205, पी०एफ०एम०एस०कोड–9422, विषय शीर्ष 0205.31.06 सहायता अनुदान–गैर वेतन	166.00	170.98
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०–01, उप शीर्ष 0241–परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890241, पी०एफ०एम०एस०कोड–9422, विषय शीर्ष 0241.31.06 सहायता अनुदान–गैर वेतन	32.00	32.96
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0263–परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960263, पी०एफ०एम०एस०कोड–9422, विषय शीर्ष 0263.31.06 सहायता अनुदान–गैर वेतन	2.00	2.06
केन्द्रांश योग :–	**200.00**	**206.000**

राज्यांश	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104–कृषि फारम, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0305–परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001040305, पी०एफ०एम०एस०कोड–9422, विषय शीर्ष 0305.31.06 सहायता अनुदान–गैर वेतन	110.66	113.986
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0341–परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890341, पी०एफ०एम०एस०कोड–9422, विषय शीर्ष 0341.31.06 सहायता अनुदान–गैर वेतन	21.33	21.971
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0363–परम्परागत कृषि विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960363, पी०एफ०एम०एस०कोड–9422, विषय शीर्ष 0363.31.06 सहायता अनुदान–गैर वेतन	1.34	1.373
राज्यांश योग :–	**133.33**	**137.33**
कुल :–	**333.33**	**343.33**

13. केन्द्रांश मद में 06.00 (छः) लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 04.00 (चार) लाख रूपये कुल 10.00 (दस) लाख रूपये तृतीय अनुपूरक आगणन से प्रतिपूर्ति की जाएगी। उक्त राशि के उपबंध होने के बाद ही उक्त राशि का आवंटन एवं निकासी की जाएगी।
14. वित्त विभाग की संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका सं०–एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–79/2018 के पृ०सं०– 12/टि० पर दिनांक 23.11.2018 को प्राप्त है।
15. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
16. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–79/2018 के पृ०सं०– 13/टि० पर दिनांक 28.11.2018 को प्राप्त है। जिसका डायरी सं०–223 दिनांक 26.11.2018 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Rdeindeo 19.12.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–79/2018 195 / कृ0, पटना, दिनांक– 20/12 /2018
प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindeo 19.12.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–79 / 2018 195 / कृ0, पटना, दिनांक– 20/12 / 2018
प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–79 / 2018 195 / कृ0, पटना, दिनांक– 20/12 / 2018
प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

19.12.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–79 / 2018 195 / कृ0, पटना, दिनांक– 20/12 / 2018
प्रतिलिपिः– सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–79 / 2018 195 / कृ0, पटना, दिनांक– 20/12 / 2018
प्रतिलिपिः– कृषि मंत्री के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, पी॰पी॰एम, कृषि विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना–सह–प्रभारी पदाधिकारी NMSA कोषांग / संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी / संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / संबंधित सहायक निदेशक, उद्यान, / प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (शष्य) योजना, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा सभी कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

19.12.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–01

परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत 102 कलस्टर के प्रथम वर्ष (2018–19) के लिए जिलावार लक्ष्य के अनुरूप व्यय हेतु राशि की स्वीकृति

(राशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	निकास एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	लक्ष्य							कुल आवश्यक राशि	केन्द्रांश				राज्यांश				मदवार राशि का विवरण		कुल
		लक्ष्य योजना मद				आकस्मिकता मद				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण	आकस्मिकता	
		भौतिक कलस्टर में	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल												
1	सहायक निदेशक (उद्यान), वैशाली	30	59.400	39.600	99.000	0.891	0.594	1.485	100.485	50.041	9.647	0.603	60.291	33.361	6.431	0.402	40.194	99.000	1.485	100.485
2	सहायक निदेशक (उद्यान), मुजफ्फरपुर	26	51.480	34.320	85.800	0.772	0.515	1.287	87.087	43.370	8.360	0.522	52.252	28.913	5.574	0.348	34.835	85.800	1.287	87.087
3	सहायक निदेशक (उद्यान), समस्तीपुर	20	39.600	26.400	66.000	0.594	0.396	0.990	66.990	33.361	6.431	0.402	40.194	22.241	4.287	0.268	26.796	66.000	0.990	66.990
4	सहायक निदेशक (उद्यान), भागलपुर	16	31.680	21.120	52.800	0.475	0.317	0.792	53.592	26.689	5.145	0.321	32.155	17.793	3.429	0.215	21.437	52.800	0.792	53.592
5	सहायक निदेशक (उद्यान), खगड़िया	10	19.800	13.200	33.000	0.297	0.198	0.495	33.495	16.681	3.215	0.201	20.097	11.120	2.144	0.134	13.398	33.000	0.495	33.495
6	संयुक्त निदेश (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना					1.011	0.67	1.681	1.681	0.838	0.162	0.011	1.011	0.558	0.106	0.006	0.670	0.000	1.681	1.681
		102	**201.960**	**134.640**	**336.600**	**4.040**	**2.690**	**6.730**	**343.330**	**170.980**	**32.960**	**2.060**	**206.000**	**113.986**	**21.971**	**1.373**	**137.330**	**336.600**	**6.730**	**343.330**

अनुसूची - 2

15 FINANCIAL BREAK UP AND COMPONENT WISE ALLOCATION

S.No.	Component	Pattern of assistance/ ha			Total per ha area for 3 years	Total per group of 20 ha for 3 year	Total per cluster of 1000 ha each Rs in lakh
		1st Year	2nd Year	3rd Year			
A.	Programme implementation through Support Agencies						
1.	Cluster formation and Capacity building including exposure visits, and trainings of field functionaries	1000	1000	1000	3000	60000	30.00
2.	Deployment of manpower and management cost for implementation of programme including data management and uploading	1500	1500	1500	4500	90000	45.00
B.	PGS Certification through Regional Councils						
3.	Service charges to RCs for physical verification, certification endorsement and certificate issue	700	700	700	2100	42000	21.00
4.	Residue analysis through Zonal councils/ state Departments in NABL accredited laboratories @ 3 samples/per 100 hec. (LRP area) from 2nd year	0	300	300	600	12000	6.00
C.	Incentive to farmers through DBT					0	0
5.	Incentive to farmers for organic conversion, inputs, on-farm input infrastructure	12000	10000	9000	31000	620000	310.00

S.No.	Component	Pattern of assistance/ ha			Total per ha area for 3 years	Total per group of 20 ha for 3 year	Total per cluster of 1000 ha each Rs in lakh
		1st Year	2nd Year	3rd Year			
	to be provided as DBT for direct farmers account						
D.	Value addition, marketing and publicity					0	0
6.	Support for marketing, common packaging, branding, space rent, transportetc	0	500	1000	1500	30000	15.00
7.	Value addition infrastructure creation through FPC/ FPO case to case basis*	0	1000	1000	2000	40000	20.00
8.	Brand building, trade fairs, exhibitions, local publicity, organic fairs/ melas, local marketing initiatives, participation in national trade fairs	1300	2000	2000	5300	106000	53.00
	Total	16500	17000	16500	50000	1000000	500.00

Rs 500.00 lakh per cluster of 1000 ha each

* Proposals regarding Value addition infrastructure creation through FPC/FPO would be considered separately on case to case basis

Inter component changes under prior intimation to Government of India on a case to case with full justification is allowed.